

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग


क्रमांक: एफ.1(131)परि/स्था/2014 / 2157

जयपुर, दिनांक: 08/02/2016

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा सर्विसेज (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके सम्मुख दर्शाये कालम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कालम संख्या 6 में अंकित तिथि से (मध्यान्ह पश्चात्) सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अरुण मेहता	परिवहन निरीक्षक	मुख्यालय, जयपुर	21.02.1956	29.02.2016
2.	श्री रामलाल मीणा	परिवहन निरीक्षक	जि.प.का. बांसवाड़ा	12.08.1956	31.08.2016



(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

क्रमांक: एफ.1(131)परि/स्था/2014 / 2158-68

जयपुर, दिनांक: 08/02/2016

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- उप शासन सचिव, कार्मिक (क-1) गोपनीय प्रकोष्ठ विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, पेन्शन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- अपर परिवहन आयुक्त, जोन-
- समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवापुस्तिका से जन्मतिथि/सेवानिवृत्ति तिथि की पुष्टि कर लें। यदि त्रुटि हो तो मुख्यालय को अवगत करावें ताकि संशोधित आदेश निकाला जा सके।
- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री
- पेन्शन शाखा/जांच शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
- निजी पत्रावली श्री
- रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)